

कार्यपाल
ALL HOD /
ACD / संचालनालय - पुस्तकालय
24/1/18

मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार,
विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, 462004

--:::000:::--

क्रमांक:- 63 / 32 / 2018 / 42-2

दिनांक 08 / 01 / 2018

संचालक,
कौशल विकास संचालनालय,
जबलपुर म0प्र0 ।

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
म0प्र0 भोपाल

विषय: धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के ऐसे व्यक्तियों ने
“मांडी” जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा,
शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त किया है उन्हें संरक्षण दिये जाने वाले।

--:::000:::--

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक
01-01-2018 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(डा. एम.आर.धाकड़)

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार
विभाग

(6)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एफ 747/2016/आ.प्र./एका
प्रति

अध्यक्ष पर्याप्त प्राप्त
तारीख ३२
दिनांक ०३।०।। २०१८
भोपाल, दिनांक 01 जनवरी 2018

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:-धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने "माझी" जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासकीय सेवा/शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त किया है उन्हें संरक्षण दिये जाने बाबत् ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद आदि जाति के जिन व्यक्तियों द्वारा "माझी" अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11.11.2005 के पूर्व शासकीय सेवाओं में नियोजित व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए । पिछले उक्त दिनांक के पश्चात् उन्हें अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं मानते हुए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

३१/११/२०१८
(के.के. कातिया)

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 7-19/2016/आप्र/एक,

भोपाल, दिनांक 01 जनवरी 2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल;
 2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल;
 3. मान. मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल;
 4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रिपरिषद आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2017 के आयटम क्रमांक 1 के पात्र भी;
 5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल;
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल;
 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल;
 8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश;
 9. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातिय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग;
 10. सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल;
 11. सचिव म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर;
 12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल;
 13. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309, जिर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल;
 14. निदेशक अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं 103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद- 500082
 15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग;
 16. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर;
 17. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल;
 18. प्रमुख सचिव/अपर सचिव/उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग;
 19. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल;
 20. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय, मंत्रालय, भोपाल;
 21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश;
 22. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित;
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्त सभी संबंधितों को अवगत कराएं।

अपर सचिव
म.प्र. शासन, सा.प्र.वि.